



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 पौष, 1946 (श०)

संख्या - 795 राँची, सोमवार, 23 दिसम्बर, 2024 (ई०)

#### पथ निर्माण विभाग

-----

#### संकल्प

9 अक्टूबर, 2024

**विषय:-** माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा याचिका- डब्लू० पी० (एस) संख्या-654 ऑफ 2018 में दायर आई० ए० संख्या: 6171 / 2018 में दिनांक 04 सितम्बर, 2018 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त तथा विधि विभाग द्वारा प्रदत्त विधिक राय के आलोक में पथ निर्माण विभागीय अधिसूचना संख्या: 348 (s) एवं 356 (s) दिनांक 01.02.2021 के क्रम में दिनांक 08.07.2021 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में कृत अनुशंसानुसार श्री सत्यदेव मोहन घोष सेवानिवृत्त सहायक अभियंता एवं श्री श्यामदास सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियंता को सेवा अवधि में उनसे कनीय को प्रदत्त प्रोन्नतियों के तथानुरूप भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में ।

**संचिका सं०: प०नि०वि०-01/विविध - 04/2016—4296--**श्री सत्यदेव मोहन घोष, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग द्वारा मुख्य अभियंता कार्यालय, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, झारखण्ड राँची में पदस्थापन अर्थात् सेवाकाल में उच्चतर संवर्गीय पदों पर प्रोन्नति हेतु समय-समय पर प्रशासी विभाग एवं उच्च प्राधिकारी को अभ्यावेदन दिया गया था। बाद में इनके द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में याचिका संख्या: डब्लू० पी० (एस)-654 ऑफ 2018 दायर कर अपने से कनीय को प्रदत्त प्रोन्नतियों के तथानुरूप बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-1 नियमावली, 1939 के

प्रावधानों के आधार पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति सभी अनुवर्ती लाभ सहित प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को निर्देश देने का प्रार्थना किया गया।

(2) उल्लेखनीय है कि झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली, 2016 पथ निर्माण विभागीय अधिसूचना संख्या: 2376 (s) दिनांक 12 अप्रैल, 2016 से अधिसूचित होने के पश्चात् झारखण्ड सरकार के गजट में दिनांक 03 मई, 2016 को प्रकाशित की गई एवं उक्त तिथि के प्रभाव से बिहार अभियंत्रण सेवा नियमावली, 1939 को निरसित (Repeal) कर दिया गया। नई नियमावली, 2016 में कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नति हेतु अभियंत्रण श्रेणी में डिग्री का होना अनिवार्य कर दिया गया। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नई नियमावली, 2016 के प्रावधानों को चुनौती देनेवाले याचिका डब्लू० पी० (एस) सं०- 3027 / 2016 एवं अन्य समरूपवादों में दिनांक 17.08.2017 को पारित अन्तरिम आदेश से संबंधितवादों के अंतिम फलाफल की शर्त पर सहायक अभियंता से कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नति में बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-1 नियमावली, 1939 के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया गया।

(3) श्री घोष, के द्वारा उच्चतर पद पर प्रोन्नति के निमित्त दिये गये अभ्यावेदनों पर पथ निर्माण विभाग द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग से परामर्श की अपेक्षा करते हुए संबंधित संचिका दिनांक 19.02.2018 को कार्मिक विभाग को पृष्ठांकित की गई थी, क्योंकि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक: 743 दिनांक 25.01.2018 से राज्य सरकार के अधीन सभी प्रोन्नतियों को बाधित रहने का निर्णय लिया गया था। तत्समय कार्मिक विभाग से निम्न परामर्श दिनांक: 22.02.2018 को प्राप्त हुआ :-

" वर्णित परिस्थिति में प्रोन्नति के विवेचनाधीन मामले में प्रशासी विभाग अपने स्तर से निर्णय ले सकता है।"

(4) पथ निर्माण विभाग द्वारा उपरोक्त परामर्श को वाद सं० W.P. ( S)-3027 / 2016 में दिनांक 17.08.2017 को पारित अंतरिम आदेश, विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक: 743 दिनांक 25.01.2018 के आलोक में स्पष्ट मंतव्य देने हेतु पुनः दिनांक 23.02.2018 को उक्त संचिका कार्मिक विभाग को पृष्ठांकित की गई।

(5) इस बीच राज्य सेवाओं में प्रोन्नति प्रदान करने पर कार्मिक विभागीय पत्रांक: 743 दिनांक 25.01.2018 से लगे रोक की अवधि में ही श्री घोष, सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, झारखण्ड, राँची में पदस्थापित रहते हुए दिनांक 28.02.2018 को सेवानिवृत्त हो गये। (6) पथ निर्माण विभाग से पूर्व पृष्ठांकित संचिका में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग का परामर्श दिनांक: 21.08.2018 को प्राप्त हुआ, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

"6. श्री घोष के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के साथ संलग्न अनुसूची 4 ( Status of the Quota posts after last promotion order dated 13th July, 2015) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा L.P.A. No. 106/2015 में दिनांक 28.09.2015 को पारित अन्तरिम आदेश एवं

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय निर्णय (1990) 2 SCC-715 से संसूचित निर्णय के आलोक में अभियंत्रण संवर्ग के कार्यपालक अभियंता के पद पर विभिन्न कोटि के पदधारकों की अनुमान्यता एवं वास्तविक स्थिति की गणना की गयी है। उक्त के अनुसार कार्यपालक अभियंता के 28% पद, जिन्हें डिप्लोमाधारी कनीय अभियंताओं से भरा जाना है, में आरक्षित कोटि के लिए निर्धारित कोटा से अधिक प्रोन्नति दी गई, जबकि सामान्य वर्ग के पदधारकों को प्रोन्नति नहीं प्रदान की गई है। प्रथम दृष्ट्या यह स्थिति कार्मिक प्रबंधन की दृष्टि से नियमविरुद्ध प्रतीत है, हालांकि यह प्रशासी विभाग के द्वारा समीक्षा किये जाने का विषय वस्तु है।

7. विषयगत मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा L.P.A. No.- 106/2015 में दिनांक 28.09.2015 को पारित अन्तरिम आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय निर्णय (2015 ) SCC-292 का पाराग्राफ 36 तथा (1990) 2sCc 715 का पाराग्राफ 44 (C) एवं (G) प्रासंगिक प्रतीत होता है।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के L.P.A. No. - 106 / 2015 में दिनांक 28.09.2015 को पारित न्यायादेश कार्यकारी अंश-

"3. If the public service commission is taking examination of 200 candidates, at a time, then the Government will arrange those 200 candidates in a seriatim number for the post of Assistant Engineers. This is not permissible because first 28 will be diploma holders, from 29 to 90 there will be degree holders in Engineering (Direct recruits) and from 91 to 100 there will be the candidates who are from Junior Engineer and who have cleared A.M.LE. examination. Perhaps, this aspect of the matter is lost sight off by the respondents-State Government and unnecessarily more than 62 percent direct recruits have been arranged at a time, in a seniority list, which is not permissible.

4. At a time, there cannot be more than 28 candidates in as seriatim number who are diploma in engineering as well as there cannot be more than 62 candidates who are direct recruits degree holders in engineering in every 100 seats."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय निर्णय (2015 ) SCC 292 का पाराग्राफ 36

"In the absence of any provision for consequential seniority in the rules, the "catch-up rule" will be applicable and the roster point reserved category promoties cannot count their seniority in the promoted category from the date of their promotions and the senior general candidates, if further reach the promotional level, general candidates will regain their seniority. The Division Bench appears to have proceeded on an erroneous footing that Article 16 (44) of the Constitution of India automatically gives the consequential seniority in

addition to accelerated promotion to the roster point promoties and the judgment of the Division Bench cannot be sustained."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय निर्णय (1990) 2 SCC715 का पाराग्राफ 44 (C) एवं (G) -

(c) "When appointments are made from more than one source, it is permissible to fix the ratio for recruitment from the different sources, and if rules are framed in this regard they must ordinarily be followed strictly.

(G) The quota for the recruitment from the different sources may be prescribed by executive instructions, if the rules are silent on the subject."

8. संदर्भाधीन अंकणीय है कि वित्त विभागीय पत्रांक: 2074 दिनांक 04.04.1985 के द्वारा संवर्ग के सदस्य को उनसे कनीय पदाधिकारी को उच्चतर पद पर प्रदान की गई प्रोन्नति की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत है।

9. वर्णित परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त कंडिका-6 एवं 7 में अंकित तथ्यों के आलोक में विषयगत मामले में यदि कनीय पदधारकों को नयी अभियंत्रण सेवानियमावली, 2016 के प्रवृत्त होने के पूर्व प्रोन्नति प्रदान की गई हैं, तो उपर्युक्त कंडिका-8 में वर्णित वित्त विभागीय पत्र के प्रावधानों के आलोक में प्रोन्नति के योग्य संबंधित कर्मियों (वरीय किन्तु प्रोन्नति से वंचित कर्मियों) को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने हेतु समुचित कार्रवाई करने का परामर्श प्रशासी शाम को दिया जा सकता है।"

(7) कार्मिक विभाग के उपरोक्त टिप्पणी को श्री सत्यदेव मोहन घोष, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता से प्राप्त अभ्यावेदन (दिनांक 13.08.2018) पथ निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन सहायक अभियंता (प्रोन्नति से नियुक्त) से कार्यपालक अभियंता के उच्चतर पदों पर कनीय को प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति किये जाने से संबंधित में टिप्पणी की कंडिका-06, 07 एवं 08 में अंकित तथ्यों के आलोक में कंडिका-09 में निहित परामर्श दिनांक 21.08.2018 को पथ निर्माण विभाग को दिया गया।

(8) उपरोक्त आधार पर प्रशासी विभाग द्वारा समीक्षोपरान्त दिनांक 12.10.2018 को मंतव्य गठित हुआ कि झारखण्ड अभियंत्रण सेवानियुक्ति नियमावली 2016 में कतिपय संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसके निष्कर्ष के आधार पर ही कार्यपालक अभियंता के पद पर श्री घोष एवं अन्य के प्रोन्नति हेतु विचार किया जाना श्रेयस्कर होगा।

(9) इस बीच श्री घोष द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद सं0: डब्लू० पी० (एस) सं0-654 / 2018 में दायर आई० ए० सं0-6171 / 2018 में दिनांक 04.09.2018 को माननीय खण्डपीठ द्वारा अंतरिम आदेश दिया गया, जो निम्नवत है:-

"Order No. 05/Dated 4th September, 2018  
IA. No. 6171 of 2018

"The main point involved in this writ petition is as to whether Jharkhand Engineering Service Recruitment Rules, 2016 shall prevail over Bihar Engineering Service Rules, 1939 or not. Under the latter Rules, Assistant Engineers coming from both Graduate and Diploma streams are eligible for promotion to the post of Executive Engineer. Under the former ie. 2016 Rules, only those Assistant Engineers who possess degree in engineering are eligible for promotion. In the batch of the writ petitions which are being heard along with W.P. (S) No.-3027 of 2016, operation of 2016 Rules has been stayed by an order passed on 17th August, 2017.

The applicant in the present writ petition comes from the diploma. category and has already superannuated. His complaint is that in spite of there being restraint order upon implementation of 2016 Rules, the authorities are not considering the implementation of 1939 Rules for the purpose of promotion. As the applicant has already superannuated during pendency of the said batch of writ petitions, no substantive relief can be given. However, the authorities may consider his entitlement for promotion applying the 1939 Rules and should bring to our notice his position on the next date of hearing.

For the reasons already indicated, we are not passing of any further order on implementation of 1939 Rules, The subsisting order already covers that field.

Matter to be listed on 13rd December, 2018.

*The instant I.A. shall stand disposed of in the above terms."*

**Sd/-**

**(Apiruddha Bose, C.J.)**

**Sd/- (Aparesh Kumar Singh, J.)**

(10) माननीय खण्डपीठ के उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 04 सितम्बर, 2018 के पालन में श्री घोष, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक 08 अक्टूबर, 2018 विभाग में देते हुए उच्च प्राधिकार को प्रतिलिपि दी गई, जिसमें पुरानी नियमावली के आधार पर कनीय को प्रदत्त प्रोन्नति तिथि से देय प्रोन्नति देने पर विचार करने का निवेदन किया गया। पुनः (भूतलक्षी प्रभाव)

अभ्यावेदन दिनांक 13.12.2018 एवं 01.06.2019 से भी श्री घोष के द्वारा अनुरोध किया गया। उक्त क्रम में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभागीय पत्रांक: 15 / मु0-16-26/ 2018- का०-8360 दिनांक 08.11.2018 से पथ निर्माण विभाग को याचिकाकर्ता की प्रोन्नति के आदेयता पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय को ससमय अवगत कराने एवं कृत कार्रवाई की सूचना कार्मिक विभाग को भी उपलब्ध कराने का परामर्श भेजा गया।

(11) पथ निर्माण विभाग में विभिन्न स्तरों पर कृत समीक्षा में श्री घोष द्वारा समर्पित अभ्यावेदन मूलतः तदर्थ रूप से नियुक्त एवं कालान्तर में सेवा नियमित किए गये अभियंताओं के वरीयता निर्धारण और तदनुसार उन्हें विभाग के द्वारा दी गई प्रोन्नति के अनुरूप दिए जानेवाले सेवा लाभ से संबंधित पाया गया। श्री घोष के अभ्यावेदन में कुल 13 तदर्थ रूप से नियुक्त अभियंताओं (कालान्तर में सेवा नियमित) की सूची संलग्न की गयी थी, जिसके क्रम सं0-1 में श्री राजदेव सिंह का

नाम अंकित है, जिनके संदर्भ में श्री घोष के द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनकी नियुक्ति दैनिक पारिश्रमिक पर कनीय अभियंता के पद पर होने के कारण दिनांक 23.07.1985 को प्रथम योगदान दिये तथा इनके नीचे क्रम सं० :- 2 से 13 भी दैनिक पारिश्रमिक पर कनीय अभियंता के रूप में दिनांक 11.09.1985 एवं अन्य भिन्न तिथियों को नियुक्त होकर प्रथम योगदान दिये। इन लोगों को कनीय अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर निर्धारित कालावधि 8 वर्षों के स्थान पर मात्र 02 वर्ष में ही सहायक अभियंता के पद पर दिनांक 27.06.1987 को प्रोन्नत मानकर सहायक अभियंता की वरीयता सूची में स्थान निर्धारित किया गया और इसी आधार पर उच्चतर पदों पर यथा कार्यपालक अभियंता के पद पर दिनांक 23.11.2009 के प्रभाव से तथा अधीक्षण अभियंता के पद पर दिनांक 03.02.2016 के प्रभाव से नियमित प्रोन्नति प्रदान की गई है।

उक्त के क्रम में श्री घोष के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि अविभाजित बिहार राज्य में कनीय अभियंता के पद पर रहते हुए ही उच्च शिक्षा अर्थात् अभियंत्रण डिग्री प्राप्त करनेवाले को केवल प्रोत्साहन के रूप में उनके लिए 5 वर्ष की कालावधि पूर्ण होने पर 3 प्रतिशत का विशेष कोटा सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति हेतु उपलब्ध था तथा उपर्युक्त संलग्न सूची के सभी 13 कनीय अभियंता सेवा में मूल प्रवेश से पूर्व ही अभियंत्रण डिग्री की योग्यता रखते थे। इसलिए ये ए० एम० आई० ई० अर्हता प्राप्त के लिए निर्धारित 3 प्रतिशत विशेष कोटा के विरुद्ध प्रोन्नति के हकदार नहीं थे। श्री घोष के अभ्यावेदन के साथ (रिट याचिका के Annexure-17) संलग्न सूची के अंश 'A' में उपरोक्त वर्णित 13 दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्त कनीय अभियंता का नाम दिया गया, जो श्री घोष के कनीय अभियंता के मूल प्रवेश पद पर नियुक्ति तिथि (09.12.1982) के बाद के वर्षों में अर्थात् दिनांक 23.07.1985 को एवं अन्य भिन्न-भिन्न तिथियों में दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्त हो कर सम्प्रति वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.04.2015 के आलोक में सेवा नियमित किये गये कनीय अभियंता हैं।

( 12 ) इस प्रकार पथ निर्माण विभाग द्वारा गठित मंतव्य में श्री घोष के द्वारा श्री राजदेव सिंह सहित अन्य 39 तदर्थ रूप से नियोजित सहायक अभियंताओं से तुलनात्मक वरीयता का दावा सेवानिवृत्ति उपरांत उच्चतर पदों पर प्रोन्नति विचारण का दावा नियमानुकूल नहीं मानकर माननीय उच्च न्यायालय के W.P. (S) No.-654 / 2018 के अंतर्गत 1.A. संख्या-6171 / 2018 में दिनांक 04.09.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री घोष का अनुरोध अस्वीकृत करने का निर्णय विभागीय आदेश सं०-5359 (5) दिनांक 31.10.2019 द्वारा लिया गया।

(13) श्री घोष सेवानिवृत्त सहायक अभियंता द्वारा मुख्य सचिव को संबोधित कर एक अभ्यावेदन दिनांक 05.11.2019 दिया गया, जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा डब्लू० पी० (एस) सं०-654 ऑफ 2018 में दायर 1.A. संख्या: 6171 / 2018 में दिनांक 04 सितम्बर, 2018 को पारित आदेश के अनुपालन में बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-1 नियमावली, 1939 के प्रावधानों के अधीन पथ निर्माण विभाग संयुक्त संवर्ग में कनीय अभियंता के Entry Grade पद पर वरिष्ठता में कनीय

को प्रदत्त प्रोन्नति तिथि (भूतलक्षी प्रभाव) से देय प्रोन्नतियों कार्मिक विभाग के परामर्शानुरूप स्वीकृत करने का अनुरोध करते हुए विषयांकित मामले की समीक्षा उनकी उपस्थिति में कराने का आग्रह भी किया गया। श्री घोष द्वारा अंदेशा व्यक्त किया गया कि पथ निर्माण विभाग में कार्यरत तदेन संबंधित कर्मी (जो प्रश्नगत कनीय की प्रोन्नति संबंधी मामले को पूर्व में देख रहे थे) के प्रभाव में समीक्षी पदाधिकारी स्तर से न्यायपूर्ण समीक्षा नहीं हो सकेगा।

उक्त अभ्यावेदन को मुख्य सचिव द्वारा संज्ञान में लेकर अपने गै० सं० प्रे० सं०: 5593 दिनांक 05.11.2019 से पथ निर्माण विभाग को भेजते हुए वृत्तादेश अंकित किया गया कि "आवेदक को बुलाकर उनके समक्ष इस मामले की बिन्दुवार समीक्षा की जाय। कृ० मुझे भी अवगत करावें।" पथ निर्माण विभागीय पत्रांक : 5450 (S) दिनांक 08.11.2019 से मुख्य सचिव, झारखण्ड को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए आदेश दिनांक 31.10.2019 की प्रति भेजी गई।

( 14 ) पथ निर्माण विभाग के उपरोक्त आदेश दिनांक 31.10.2019 के विरुद्ध श्री घोष द्वारा एक विस्तृत अभ्यावेदन दिनांक 25.11.2019 पुनः मुख्य सचिव झारखण्ड को देते हुए नियम 27 (4) (a) के तहत मामले में हस्तक्षेप कर झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली उनके स्तर से समीक्षा / अनुश्रवण का अनुरोध किया गया। उक्त अभ्यावेदन पर मुख्य सचिव झारखण्ड द्वारा पुनः संज्ञान लेकर उनके कार्यालय प्रेषण संख्या: 6081 दिनांक 27.11.2019 से सचिव, पथ निर्माण विभाग को संचिका में अग्रेतर कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाने का वृत्तादेश दिया गया।

उक्त अभ्यावेदन पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु मुख्य सचिव के समक्ष मामले उपस्थापित नहीं किया जा सका और न ही संबंधित विभागीय Speaking Order को उचित माध्यम से माननीय न्यायालय में दायर किया गया।

(15) श्री घोष सेवानिवृत्त सहायक अभियंता द्वारा इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित अभ्यावेदन दिनांक 15.06.2020 से ध्यानाकृष्ट किया गया, जिसके प्रसंग में मुख्यमंत्री सचिवालय के चर्या-टिप्पणी सं०: 3800723 दिनांक 03.09.2020 से मामले की समीक्षा इनके अभ्यावेदन दिनांक 25.11.2019 के साथ 05.11.2019 के आलोक में करने एवं संचिका उपस्थापित करने का निर्देश विभाग को प्राप्त हुआ।

श्री घोष के अभ्यावेदन दिनांक 25.11.2019 में वर्णित तथ्यों की बिन्दुवार एवं विस्तृत समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई जिसमें मुख्यतः निम्न मंतव्य गठित हुआ-

(क) आलोच्य प्रकरण में विभागीय आदेश सं०: 5359 दिनांक 31.10.2019 के द्वारा श्री घोष के दावे को अस्वीकृत किया गया। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 04.09.2018 के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं किया गया और न ही अनुपालन प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष Affidavit के माध्यम से रखा जा सका।

(ख) सकारण आदेश के विरुद्ध श्री घोष के द्वारा मुख्य सचिव, झारखण्ड को संबोधित कर दिये गये विस्तृत अभ्यावेदन दिनांक 25.11.2019 पर मुख्य सचिव के वृत्तादेश के अनुपालन में संचिका उनके समक्ष उपस्थापित नहीं की जा सकी थी।

(ग) आलोच्य प्रकरण में संबंधित 39 तदर्थ सहायक अभियंता एवं श्री घोष का मामला भिन्न रहने का वजह यह रहा कि श्री घोष से बाद में नियुक्त कनीय अभियंताओं को उनसे पूर्व सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति के समय श्री घोष का वरीयता सूची में स्थान पर यदि ध्यान रखा गया होता तो इन्हें सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति संबंधित कर्मियों के पूर्व ही मिल जाती। ऐसी स्थिति में श्री घोष का दावा विचारणीय प्रतीत होता है।

(घ) वर्णित परिस्थिति में श्री घोष को सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति की तिथि को समान धरातल पर लाते हुए उच्च पदों पर प्रोन्नति की कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में किये जाने के निमित्त विभागीय आदेश सं०: 5359 दिनांक 31.10.2019 पर पुनर्विचार किये जाने के बिन्दु पर उच्चस्तरीय निर्णय अपेक्षित है।

(ड.) श्री घोष के अलावे भी और दो मामले एक श्यामदास सिंह तदेन सहायक अभियंता एवं दूसरा श्री सनत कुमार तदेन सहायक अभियंता [सम्प्रति दोनों ही सेवानिवृत्त पदाधिकारी] द्वारा भी माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में क्रमशः W.P. (S) No.- 2189/2018 एवं W.P. (S) No.-5726/2017 अलग-अलग दायर है। यदि श्री घोष को उच्चतर पद पर वैचारिक रूप से सरकार प्रोन्नति प्रदान करती है तो इन दोनों पदाधिकारियों को भी प्रोन्नति प्रदान करना होगा और इसके लिए इनकी वरीयता सूची में भी संशोधन आवश्यक होगा।

पूर्व में कनीय अभियंताओं के वरीयता संबंधी एक मामले में विभागीय संचिका सं०:-02 / स्था० (वि०)-315 / 2005 (भाग) में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश का हवाला देकर परामर्शित किया गया है कि अपने अधिकारों के प्रति सजग दावेदारों को उनका अधिकार प्रदान किया जा सकता है।

(च) उक्त आलोक में श्री घोष सेवानिवृत्त सहायक अभियंता पथ निर्माण विभाग संवर्ग, झारखण्ड, राँची के प्रोन्नति पर विचार करते समय इनके अलावे दो और अभियंताओं (जिनका वर्णन उपर में किया गया है) को भी प्रोन्नति देनी होगी। लेकिन इसके पूर्व विभाग द्वारा निर्गत आदेश संख्या: 5359 दिनांक 31.10.2019 जिसमें श्री घोष के दावे को अस्वीकृत किया गया है, को रद्द करते हुए विधि विभाग तत्पश्चात योजना -सह- वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त करना होगा।

यथोक्त मंतव्य पर दिनांक 18.09.2020 को माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के आदेश की अपेक्षा की गई।

( 16 ) उपरोक्त विभागीय मंतव्य एवं प्रस्ताव पर दिनांक 23.09.2020 को माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री द्वारा निम्न आदेश दिया गया :-

1. पृष्ठ 104 / टि० अंश 'A' के आलोक में एवं प्रस्तुत संचिका के पृष्ठ 88 / टि० की कार्रवाई में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं किये जाने के कारण विभागीय आदेश संख्या-5359 दिनांक 31.10.2019, आदेश निर्गत तिथि रद्द।

2. मुख्य सचिव के गै० सं० प्रे० सं०: 6081 दिनांक 27.11.2019 से पथ निर्माण विभाग को प्रेषित निदेश एवं श्री सत्यदेव मोहन घोष, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता का अभ्यावेदन दिनांक 25.11.2019 (पृ०-919-831 / प०) के आलोक में विभागीय प्रस्ताव अंश 'क' (पृष्ठ 107 / टि०) अनुमोदित।

3. विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का मंतव्य प्राप्त कर तदुपरांत वित्त विभाग का मंतव्य प्राप्त करते हुए प्राप्त प्रस्ताव के साथ संचिका 15 दिनों के अन्दर उपस्थापित किया जाय।"

( 17 ) माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उपरोक्त आदेश के आलोक में सर्वप्रथम विधि विभाग से मंतव्य माँगा गया। विधि विभाग से दिनांक 01.10.2020 को प्राप्त मंतव्य का सारांश निम्नवत्

" ..... The representationist are all appointed as Junior Engineer on 9.12.1982 and they are claiming seniority and promotion to the post of Assistant Engineers claiming parity on account of being senior in the cadre of the Junior Engineers-vis-à-vis Rajdeo Singh and 12 others. Under Rule- 11 of the Bihar Engineer Service Class- II Rules, 1939 mandates that when the case of junior is considered for promotion the case of seniors will necessarily be considered.

Similarly Rule 17 of the Bihar Engineering Service Class-II Rules, 1939 also mandates that the claim of the seniority for promotion would also arise from the date his junior is promoted.

Although the said Satyadeo Mohan Ghosh, Shyam Das Singh and Sanath Kumar have been claiming seniority and their consequential promotion to the post of Executive Engineers and onwards in a group of litigations on behalf of the association but after issuance of the order in 2015 for 39/40 ad-hoc engineers who came to be regularized/promoted as Assistant Engineers, Superintending Engineers and Executive Engineers they preferred the writ application being W.P.S. No.-654/18, 2189/18 and 5726/17 claiming shifting of the date of promotion and seniority. All these persons have since retired and are claiming notional promotion. At this stage their notional promotion and grant of seniority would not be treated to be a precedence vis-à-vis those who have not moved for promotion before the Hon'ble High Court and it would not adversely affect the current incumbents holding the posts in the cadre.

In the case of representationist an order was passed on 4th September, 2018 by the Hon'ble Division Bench consisting of Hon'ble the Chief Justice and Hon'ble Mr. Justice Aparesh Kumar Singh which is as follows:-

Quote

.....  
.....

Unquote

It is a trite law that right of senior for promotion matures the moment his junior is promoted. In this regard reference can be made to the judgment reported in 1994(5) SCC 450. The Hon'ble Apex Court noted that the right matures to be considered from the date their junior is promoted even though they were not eligible for promotion but since their juniors were promoted, their claim had matured.

Similarly in judgment reported in 2008(1) SCC720 the Hon'ble Supreme Court relied upon judgment (R. Prabha Devi Vs Union of India and others reported in 1988 (2) SCC 233) stating that where the juniors have completed the eligibility criteria for promotion then their seniors would also be considered even if they have not completed eligibility criteria for promotion, thus if the junior to the representationist claiming to be regularized on promotion as Assistant Engineers in 1987 and the department granted them the status of Assistant Engineers by treating them promoted from the post of Junior Engineer although in less than 2 years time since some of them have been appointed as Junior Engineers in 1985 is an act of State which gives the right to the representationist to claim same benefits because admittedly 13 persons out of 39 ad-hoc engineers are junior to the representationist and therefore in this light Hon'ble High Court has given direction to consider their case.

*In absence of any rules, the seniority is to be reckoned from the inter-se-seniority in the lower basic cadre (reference 2004(3) SCC 723).*

It is also well settled principle that the fruits of litigation is always given to the persons who assert their right in the Court of law and not to person who merely sits on the fence and observes the litigation from outside. The person who does not approach the Court would not get benefits and therefore, in my opinion these representationist alone should be granted their seniority and promotion (reference in this regard can be made to judgment reported in 2015 (1) SCC 347).

It is also settled law that an employee is entitled for retrospective benefits with consequential benefits even after retirement if he was not promoted due to laches of the employer and if his juniors are promoted (2013 (4) AJR 93 and AIR 2015 SC 2094).

Seen from the above perspective, the claim of Satyadev Mohan Ghosh, Shyam Das Singh and Sanat Kumar can be said to be a genuine claim and as has been noted in the note-sheet at Page-100/N they would be entitled to be promoted as Assistant Engineer w.e.f. 27.6.1987 (when Rajdeo Singh and others were considered promoted as Assistant Engineers) vide resolution No.-6977 dated 15.09.2014 and they are also further entitled for promotion as Executive Engineers w.e.f. 23.11.2009 (Rajdeo Singh given promotion as Executive Engineer vide Notification No.- 8433 dated 1.12.2014) and consequently to the post of Superintending Engineer vide Notification No. 743 (S) dated 3.2.2016.

*The representationist can also be given their consequential fixation of pay and differential arrears of salary and the exercise can be confined to these three persons since*

*they have approached this Court and others have not. Consequential material benefits also has to naturally accrue. Reference in this regard can be had to the decision reported in 1990(2) PLJR-248. Provisions of rule-58 or 74 of the Financial Rules would also not come in the way as those rules do not deal with cases of retrospective promotions given retrospectively when the promotions had become due but were not given due to latches,*

*After the decision is taken an appropriate affidavit communicating the decision of the Govt. can be filed in. W.P.S. No. 654 / 2018, W.P.S. No. 2189/2018 and W.P.S. No.-5726/2017."*

(18) उपरोक्त पश्चात् माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के आदेश के आलोक में विभागीय आदेश सं०: 5359 दिनांक 31.10.2019 को आदेश निर्गत तिथि से रद्द करने संबंधी आदेश पथ निर्माण विभाग द्वारा जारी करते हुए संघ 2438 (S) दिनांक 09.10.2020 योजना-सह-वित्त विभाग को मंतव्य हेतु संचिका पृष्ठांकित की गई। उक्त प्रसंग में योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) का परामर्श प्राप्त हुआ कि राज्य अंतर्गत संवर्ग विशेष को प्रोन्नति दिये जाने के निमित्त अनुशंसा किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकार विभागीय प्रोन्नति समिति (DPC) है। भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान किए जाने हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ का उल्लेख वित्त विभाग के परिपत्र सं०: 2074 दिनांक 04.04.1985 में किया गया है। वित्त विभागीय परामर्श में विधि विभाग द्वारा परामर्शित एवं संदर्भित विभिन्न न्यायादेशों से स्थापित है। सिद्धान्त के तहत अनुमान्य भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान किए जानेवाले वैचारिक प्रोन्नति एवं सभ अनुवर्ती (वित्तीय लाभ के संबंध में कोई प्रतिकूल गंतव्य अंकित नहीं किया गया ( 19 ) विधि विभाग एवं वित्त विभागीय परामर्श के आधार पर प्रशासी विभाग द्वारा मामले में गुण-दोष के आधार पर विचारोपरान्त विस्तृत एवं ठोस प्रस्ताव का गठन कंडिका-3 में निम्न रूपेण किया गया:-

3. अतएव माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा डब्लू० पी० (एस) संख्या-654 / 2018 में दिनांक 04 सितम्बर 2018 में आई० ए० संख्या - 6171 / 2018 में पारित आदेश के अनुपालन निमित्त विभागीय समीक्षोपरान्त विधि (न्याय) विभाग द्वारा प्रदत्त विधिक राय एवं योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त मंतव्य के अधीन विचाराधीन श्री सत्यदेव मोहन घोष, सहायक अभियंता (सेवानिवृत्त), श्री श्यामदास सिंह, सहायक अभियंता (सेवानिवृत्त) एवं श्री सनत कुमार, सहायक अभियंता (सेवानिवृत्त) को देय प्रोन्नति के मामले में विधि (न्याय) विभाग के विधिकार में अंकित पटना उच्च न्यायालय खण्डपीठ के न्याय निर्णय ( 1990 (2) PLJR-248) से वित्तीय लाभ संबंधी स्थापित सिद्धान्त एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय [ 2015 (1) SCC 347] से स्थापित सिद्धान्त के अधीन इसे पूर्वोद्धारण नहीं बनाये जाने संबंधी राय के आलोक में निम्नांकित प्रस्ताव पर मुख्य (विभागीय) मंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त करना प्रस्तावित किया गया:-

(i) विचाराधीन तीनों सहायक अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत्त) से, मूलप्रवेश पद अर्थात् कनीय अभियंता संवर्ग में निम्नतर वरीयता क्रम के धारक। निम्नतर वरीयता क्रम के सहायक अभियंता को उक्त कोटि में दिनांक 27.06.1987 के प्रभाव से प्रदत्त प्रोन्नति के अनुरूप विभागीय अधिसूचना सं० 4205 (s) दिनांक 03.05.2013 से प्रोन्नत किये गये विचाराधीन तीनों सहायक अभियंता (सर्वश्री सत्यदेव मोहन घोष, श्यामदास सिंह एवं सनत कुमार सभी सेवानिवृत्त) के प्रोन्नति तिथि 03.05.2013 को shift back करते पर तदेन वेतनमान रु० हुए इन्हें सहायक अभियंता (असैनिक) के पद 2200-75-2800-100 रु० 4000 का लाभ भूतलक्षी प्रभाव से अनुमान्य किया जाना, (ii) विभागीय अधिसूचना सं०: 3015 (S) दिनांक 05.05.2015 एवं अनुवर्ती अधिसूचना सं०: 282 (S) दिनांक 11.01.2016 से प्रकाशित/संशोधित पथ निर्माण विभाग संवर्ग के अभियंता सेवा वर्ग-2 में सहायक अभियंता (असैनिक) की वरीयता सूची में इन तीनों सहायक अभियंताओं के पूर्व निर्धारित वरीयता में संशोधन करते हुए श्री सत्यदेव मोहन घोष [वरीयता क्रमांक - 575 (क)] का प्रस्तावित / संशोधित वरीयता क्रमांक - 22 (क). श्री श्यामदास सिंह ( वरीयता क्रमांक- 578 ) का संशोधित वरीयता क्रमांक: 22 ( ख ) एवं श्री सनत कुमार ( वरीयता क्रमांक - 582) का संशोधित वरीयता क्रमांक: 22 (ग) इस टिप्पणी के साथ किया जाना कि प्रस्तावित वरीयता संशोधन (वैचारिक) का वास्तविक रूप में कोई भी प्रतिकूल प्रभाव अभियंत्रण सेवा वर्ग के किसी भी अभियंता पर नहीं पड़ेगा।

(iii) सहायक अभियंता कोटि में इनसे वरीयता में ठीक कनीय पदधारक को बिहार अभियंत्रण सेवा नियमावली, 1939 के प्रावधानों के तहत कार्यपालक अभियंता ( असैनिक ) वेतनमान PB-III रु० 15,600-39,100 तथा ग्रेड वेतन रु० 6600 में दिनांक 23.11.2009 को प्रदत्त प्रोन्नति तथा अधीक्षण अभियंता (असैनिक) वेतनमान PB-IV रु० 37,400-67000 तथा ग्रेड वेतन रु० 8700 में दिनांक 03.02.2016 को प्रदत्त प्रोन्नति के फलस्वरूप तीनों संबंधित अभियंताओं को कार्यपालक अभियंता के पद पर दिनांक 23.11.2009 के प्रभाव से तथा अधीक्षण अभियंता के पद पर दिनांक 03.02.2016 के प्रभाव से देय प्रोन्नति के निमित्त विचारार्थ इसे विकास आयुक्त झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति का अनुशंसा प्राप्त कर मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदेश प्राप्त कर कार्रवाई किया जाना तथा

(iv) उपरोक्त कंडिका- (i), (ii) एवं (iii) से संबंधित कृत कार्रवाई / निर्णय उपरान्त विधि (न्याय) विभाग के परामर्शानुसार तत्संबंधी प्रगति प्रतिवेदन शपथपत्र के माध्यम से डब्लू० पी० (एस) सं० 654 / 2018 (I.A. No. - 6171 / 2018 ) में दिनांक 04.09.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में पूरक शपथपत्र दायर किया जाना।

( 20 ) उपरोक्त कंडिका-19 में निहित प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री जी द्वारा दिनांक 15.01.2021 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

( 21 ) इस बीच कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग पत्रांक 6752 दिनांक 24.12.2020 से राज्य सेवाओं के पदों पर प्रोन्नति में रोक लगा दी गई, जिसके आलोक में प्रश्नगत मामले में विधि विभाग से परामर्श की मांग की गई विधि विभाग द्वारा दिनांक 28.01.2021 को परामर्श दिया गया कि

"In my opinion steps initiated for granting promotion from retrospective date is being initiated in view of the order dated 4.09.2018 in W.P.S. No.- 654 / 18. The decision for promotion is taken in respect of compliance of the order dated 4.09.2018 passed in W.P. (S) No.-654/2018 and would thus would not be affected by the letter no.-6752 dated 24.12.2020. The promotions as contemplated can thus be given."

(22) उपरोक्त परामर्श / मंतव्य के उपरान्त पथ निर्माण विभाग अधिसूचना सं०: 348 (S) दिनांक 01.02.2021 से सहायक अभियंता ग्रेड में पूर्व प्रदत्त प्रोन्नति तिथि 03.05.2013 को Shift Back कर इन तीनों सहायक अभियंता (सेवानिवृत्त) के प्रोन्नति तिथि को 27.06.1987 किया गया तथा अधिसूचना संख्या: 356 (S) दिनांक 01.02.2021 से इन तीनों का वरीयता क्रमांक सहायक अभियंता पंक्ति में क्रमशः 22 (क), (ख) एवं (ग) निर्धारित कर दिया गया। तत्पश्चात् विधि (न्याय) विभाग एवं वित्त विभाग के मंतव्य के आलोक में राज्य अन्तर्गत संवर्ग विशेष को प्रोन्नति दिये जाने के निमित्त अनुशंसा किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकार विभागीय प्रोन्नति समिति से बैठक की तिथि निर्धारण का अनुरोध किया गया।

(23) विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 17.02.2021 में विचारोपरान्त निर्णय हुआ कि • इनके प्रोन्नति के मामले पर विचार करने हेतु प्रधान सचिव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं सचिव योजना-सह-वित्त विभाग का मंतव्य आवश्यक है। ऐसे में विभागीय प्रोन्नति समिति की आगामी बैठक में इन्हें भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाय।

( 24 ) उक्त क्रम में विभागीय प्रोन्नति समिति की अगली बैठक विशेष आमंत्रित सदस्यों के साथ दिनांक 18.03.2021 को सम्पन्न हुई जिसमें निर्णय हुआ कि विषयाधीन प्रोन्नति किस नियमावली के अधीन किए जाने हैं। इस संबंध में प्रशासी विभाग स्थिति स्पष्ट करते हुए संवर्गीय वरीयता, रोस्टर, रिक्ति आदि का पालन करते हुए तत्संबंधी प्रस्ताव समिति की अगली बैठक में विचारार्थ रखी जाय।

उपरोक्त पृच्छा के संदर्भ में पथ निर्माण विभाग का मंतव्य गठित हुआ कि प्रस्ताव के आलोक में किस नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रोन्नति दी जानी है, इस बिन्दु पर विद्वान महाधिवक्ता की राय प्राप्त करने हेतु संचिका विधि विभाग को पृष्ठांकित की जाय। तदनुसार दिनांक 03.06.2021 को संचिका विधि विभाग को पृष्ठांकित की गई।

(25) उक्त क्रम में विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता से दिनांक 18.06.2021 को प्राप्त परामर्श का मुख्य अंश निम्नवत है-

5. In the instant matter, an order was passed dated 4th September, 2018 by the Hon'ble Division Bench of Jharkhand High Court consisting of Hon'ble the Chief Justice and Hon'ble Mr. Justice Aparesh Kumar Singh in W.P. (S) No. 654 of 2018 (reproduced in my earlier opinion dated 30.9.2020 [at] Page 110-117-Nates of present file)

"Quote

*Unquote"*

The said order also stipulates to consider the entitlement for promotion applying the 1939 Rules (ie, the Bihar Engineering Service Rules, 1939). Therefore notional promotions are to be granted retrospectively to the retired persons (writ petitions) in compliance to the said order dated 4 September, 2018, if the retired person is found 'fit' by the DPC as the persons juniors to the above retired employees have been promoted on the date when the said retired persons were in service. Such retired persons have been agitating their grievances of promotion through representations and in writ petitions. In light of the above order dated 4th September, 2018, these writ petitioners (whose date of promotion and inter-se-seniority in the Assistant Engineer's Cadre have already been corrected vide Govt. Notification No.-348 (S) and 356 (S) dated 1.2.2021 respectively (Page-956- 953 / C of file) would be entitled to promotions retrospectively on notional basis along with all consequential benefits in terms of settled law reported in 2013 (4) AJR 93 and (2015) 14 SCC 335 as well as that reported in 1990 (2) PLJR 248. The persons / petitioners have been denied promotion with all consequential benefits. Their juniors who were promoted were also similarly promoted retrospectively by granting them all consequential benefits. Since the promotions are now to be given to retired person on notional basis, therefore requirement of actual vacancy as on date of promotion would not require. In the event these retired persons would have been remain in service as on date, then only creation of supernumerary posts in the promotional grades would have become necessary which is not a case in hand.

6. In view of the above and previous opinion dated 1.10.2020 (Page- 118/Notes of present file), the promotions under consideration are to be granted to the post of Executive Engineer w.e.f. 23.11.2009 and to the post of Superintendent Engineer w.e.f. 3.2.2016 which are prior to the coming into force of the new Rules, 2016 on 3.5.2016, therefore they are to be granted not under the new Rule but under the old Rules i.e. Bihar Engineering Service Class-1 Rules, 1939,

7. Based on the order dated 4th September, 2018 passed in W.P. (S) No. 654 of 2018 by Hon'ble Division Bench of Jharkhand High Court read with settled principle of law, facts stated above and in continuation of my earlier opinion dated 30.9.2020, it is my view that by applying old rules i.e. the Bihar Engineering Service Class-1 Rules, 1939, these three persons (Satyadeo Mohan Ghosh, Shyamdas Singh and Sanat Kumar) should be considered for notional promotion to the post of Executive Engineer w.e.f. 23.11.2009 and Superintending Engineer w.e.f. 3.2.2016 with all consequential benefits."

(26) विधि विभाग के माध्यम से प्राप्त विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श पर आधारित तथ्यों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अगली बैठक दिनांक 08.07.2021 में रखा गया। प्रोन्नति समिति के समक्ष रखे गये अभिलेख तथा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 04.09.2018 के परिप्रेक्ष्य में विभागीय समीक्षोपरान्त विधि विभाग द्वारा प्रदत्त विधिक राय एवं योजना -सह- वित्त विभाग से परामर्शित प्रस्ताव पर सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आलोक में कनीय को दी गई प्रोन्नतियों के तथानुरूप श्री सत्यदेव मोहन घोष सेवानिवृत्त सहायक अभियंता कोटि क्रमांक- 22 (क) / 2015 एवं श्री श्यामदास सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियंता कोटि क्रमांक-22 (ख) / 2015 को कार्यपालक अभियंता (असैनिक) कोटि के वेतनमान पी० बी-III (15,600-39,100), ग्रेड वेतन ₹0 6800/- में दिनांक 23.11.2009 के नूतलक्षी प्रभाव से तथा अधीक्षण अभियंता (असैनिक) कोटि के वेतनमान पी० बी०-IV ( 37,400-67000), ग्रेड वेतन ₹0 8700/- में दिनांक 03.02.2016 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति की अनुशंसा की गई। जबकि तीसरे याचिकाकर्ता श्री सनत कुमार सेवानिवृत्त सहायक अभियंता कोटि क्रमांक- 22 (ग) के सदृश्य मामले पर भी विचार किया गया, परन्तु सहायक अभियंता के पद पर सेवा संपुष्टि नहीं रहने के कारण प्रोन्नति समिति द्वारा विधारोपरान्त श्री सनत कुमार को उच्चतर पद पर प्रोन्नति के योग्य नहीं पाया गया।

(27) विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 06.07.2021 में कृत अनुशंसा से संबंधित कार्यवाही पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री द्वारा पृष्ठ-156 / टि० पर चिन्हित अंश 'क' के साथ प्रस्ताव दिनांक 29.07.2021 को अनुमोदित किया गया।

उक्त क्रम में अंकनीय है कि पृ०-156 / टि० पर चिन्हित अंश क में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा प्रदत्त विधिक राय दिनांक 14.06.2021 (कंडिका-7) निम्न हैं:-

"7. "It is my view that by applying old Rules i.e. the Bihar Engineering Service Class-1 Rules, 1939, these three persons (Satyadeo Mohan Ghosh. Shyamdas Singh and Sanat Kumar) should be considered for national promotion to the post of Executive Engineer w.e.f. 23.11.2009 and Superintendent Engineer w.e.f. 3.2.2016 with all consequential benefits."

( 28 ) इस प्रकार विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 08.07.2021 की कार्यवाही से अनुशंसित श्री सत्यदेव मोहन घोष एवं श्री श्यामदास सिंह (सेवानिवृत्त सहायक अभियंतागण ) के उच्चतर पदों पर भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति का प्रस्ताव सभी अनुवर्ती (वितीय) लाभ सहित माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 29.07.2021 को अनुमोदित किया गया।

(29) झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली के भाग-3, नियम-32 (क) (ix) (ii) से विचाराधीन प्रोन्नति मामला आच्छादित रहने के कारण माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री से उपरोक्त विचारित प्रस्ताव से संबंधित आदेश निकालने से पूर्व प्रस्ताव पर मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सहमति प्राप्त करने क्रम में तदेन मुख्य सचिव द्वारा मामले को थोड़ा जटिल प्रतीत होना बताकर प्रशासी विभाग के सचिव से वार्ता की अपेक्षा करते हुए दिनांक 09.09.2021 को संचिका वापस लौटा दी गई।

( 30 ) तत्पश्चात् प्रश्नगत मामले में वार्ता उपरांत दिनांक 14.01.2023 को संचिका में तदेन मुख्य सचिव द्वारा कतिपय आपत्तियों को संचिका में अंकित करते हुए प्रस्ताव अस्वीकृति की अनुशंसा माननीय मुख्यमंत्री से की गई। तदेन मुख्य सचिव द्वारा किये गये विवेचना में मुख्यतः निम्न तीन बातों को बताया गया:-

" (क) जिन ad hoc Engineers से समतुल्यता की बात श्री घोष कर रहे हैं, वे कभी भी ad hoc basis पर पथ निर्माण विभाग में नियुक्त नहीं किये गये ।

(ख) जिन ad hoc Engineers से समतुल्यता की बात श्री घोष कर रहे हैं, वे कभी भी तदर्थ कनीय अभियंता के रूप में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत भी नहीं रहे ।

(ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप इन ad hoc Engineers, जिनसे समतुल्यता बात श्री घोष कर रहे हैं, को कनीय अभियंता के पद पर समायोजन द्वारा नियुक्त भी नहीं किया गया है ।

अतः स्पष्ट है कि श्री घोष का भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति का दावा तथा तत्संबंधित प्रशासी विभाग का प्रस्ताव तथ्यात्मक रूप से गलत, भ्रामक तथा आधारहीन है। जहाँ तक AE के रूप में समतुल्यता का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि श्री घोष 2013 में सहायक अभियंता बने जबकि Ad-hoc Engineers को 1987 के प्रभाव से सहायक अभियंता के पद पर समायोजन द्वारा नियुक्त किया गया है। अतः श्री घोष इनसे कनीय हैं, अतः इस आधार पर भी भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति का दावा नहीं बनता है ।"

( 31 ) माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा तदेन मुख्य सचिव द्वारा अंकित टिप्पणी / मंतव्य एवं उनके अस्वीकृति के प्रस्ताव से असहमत होते हुए इन बिन्दुओं पर विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त कर संचिका उपस्थापित करने का आदेश दिनांक 02.03.2023 को अंकित करते हुए संचिका लौटा दी गयी ।

( 32 ) माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार तदेन मुख्य सचिव के द्वारा उठाये गये कतिपय बिन्दुओं पर परामर्श देने हेतु संचिका विद्वान महाधिवक्ता झारखण्ड को पृष्ठांकित कर भेजी गई। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक : 5495 दिनांक 28.04.2023 निम्नांकित अभिलेखों की माँग की गई:-

1. Copy of W.P.S. No. 654 / 2018 - Satyadeo Mohan Ghosh Vs State of Jharkhand and others along with concerned file of the RCD .

II. Copy of counter affidavits filed in W.P.S. No.-654/2018 by the State- Respondents.

III. RCD file dealing with the matter of regularization and confirmation of those Daily Wages Junior Engineers under RCD orders/notifications and compliance affidavit filed before the Hon'ble Supreme Court of India.

IV. RCD file related to determination of seniority to those promoted Assistant Engineers (promoted from Junior Engineer's grade).

V. RCD file related to promotion granted to Sri Rajdeo Singh on the post of Chief Engineer w.e.f. 24.12.2018.

उपरोक्त वर्णित सभी संचिका / अभिलेख पथ निर्माण विभागीय पत्र सं0 1558 (S) दिनांक 28.04.2023 से महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में प्राप्त करा दिया गया।

( 33 ) उपरोक्त सभी संचिका / अभिलेख का अवलोकन एवं जाँचोपरान्त विद्वान महाधिवक्ता द्वारा संचिका में प्रदत्त विधिक राय / परामर्श से तदेन मुख्य सचिव द्वारा उठाये गये कतिपय बिन्दु / आपत्ति एवं विभागीय प्रस्ताव के अस्वीकृति संबंधी उनके मंतव्य को संचिका में अभिलेखित तथ्यात्मक स्थिति, विभिन्न न्यायिक आदेश तथा राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के प्रतिकूल एवं आधारहीन पाया गया। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा संचिका में प्रदत्त विधिक राय / परामर्श उनके कार्यालय U.O.I. No.-28 दिनांक 05.01.2024 से प्राप्त हुआ, जो उनके पूर्व विधिक परामर्श दिनांक 14.06.2021 के क्रम में है, का मुख्य-मुख्य अंश निम्न रूप में है:-

"The documents were sent to my office vide letter no. 1558 dated 28.4.2023 vide the letter of the Joint Secretary of the Department.

*The documents were examined and verified by me in detail.*

*In the above context facts which emerge from various Notifications, Resolutions and Orders of Road Construction Department, Jharkhand and judgments of the Hon'ble Jharkhand High Court and Hon'ble Supreme Court are as follows:-*

### **Analysis**

1. Thus, the petitioner's claim for promotion is to be considered in light of Order No. 5/dated 4th September, 2018 passed in LA. No.-6171/2018 in W.P. (S) No.-654/2018, whereby the Hon'ble Division Bench of Jharkhand High Court has observed that the main point involved in this writ petition is as to whether Jharkhand Engineering Service Rules, 2016 shall prevail over Bihar Engineering Service Rules, 1939 or not. Under the latter Rules, Assistant Engineers coming from both Graduate and Diploma streams are eligible for promotion to the post of Executive Engineer and under the former Le. 2016 Rules, only those Assistant Engineers, who possess degree in engineering are eligible for promotion.

2. The Hon'ble Division Bench has also directed that the State Authorities may consider entitlement for promotion by applying 1939 Rules and to bring to the notice of the Hon'ble Division Bench, the position of the petitioner on the next date of hearing and matter to be listed on 13th December, 2018. Thus, considering said judicial order dated 4 September, 2018 passed by Hon'ble Division Bench, subject to fitness for promotion, the petitioners are entitled to be considered for shift back of date of promotion in grade of Assistant Engineer and higher promotion to Class-1 posts under 1939 Rules at par with their admitted juniors. It appears that no affidavit

on behalf of the State of Jharkhand in compliance to said order dated 4th September, 2018 has been filed.

3. After perusal of records of the file and specially looking into apprehensions of the petitioner as who brought to the then Chief Secretary vide his representation dated 5.11.2019 and 25.11.2019, reveals that in view of the facts recorded therein, the Chief Secretary issued a specific direction to the Secretary, Road Construction Department to have the matter examined point-wise and reviewed in presence of the petitioner and facts be intimated to the Chief Secretary.

4. The earlier order dated 31.10.2019 was also not in consonance with the above order dated 4th September, 2018, passed by the Division Bench of the Jharkhand High Court in W.P. (S) No.-654/2018 for the reason that the Hon'ble Court was pleased to direct to consider petitioner's case for promotion as per 1939 Rules and not to examine, firstly whether this case is similarly situated to above Ad-hoc Assistant Engineers and secondly, if found similar then to consider petitioner's case else not to consider this case as was done by the said order dated 31.10.2019.

5. It is evident from the records of present file at Page-125-129/N that in terms of considered view of the Administrative Department of Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha, Department of Finance and Department of Law in light of order dated 4th September, 2018, the proposal initiated was accorded approval by the Competent Authority for (i) shifting back the date of promotion of the writ petitioners (Satyadeo Mohan Ghosh, Shyam Das Singh and Sanat Kumar) in Assistant Engineer Cadre from 3.5.2013 to 27.6.1987 with all consequential (financial) benefits. (u) Accordingly corrections be done in inter-se-seniority position of the above petitioners in seniority list dated 5.5.2015 of Assistant Engineer grade of RCD Cadre, (ii) Thereafter, to place the proposal before Departmental Promotion Committee to consider suitability for promotions of these petitioners to the higher rank of Executive Engineer w.e.f. 23.11.2009 and Superintending Engineer w.e.f. 3.2.2016 i.e. the dates on which admitted juniors to the above mentioned petitioner were granted promotions.

6. Accordingly, order for shifting back the date of promotion in Assistant Engineer grade and correction/revision of inter-se-seniority position in Assistant Engineer grade in respect of above mentioned three writ petitioners were notified vide Notification No.-348 (S) read with Memo No.- 349 (S) dated 1.2.2021 and Notification No.-356 (S) read with Memo No.- 357 (S) dated 1.2.2021 respectively with the remarks therein that revision of seniority (due to promotion on notional basis) would not affect the seniority position of any other members of Engineering Services under Class-II or Class-L

7. The Administrative Department after finding the case of the petitioners to be well founded for consideration, a final meeting of the Departmental Promotion Committee was held on 8th July, 2021 wherein upon adjudging the suitability of the candidates, out of total three persons (under consideration), only two were found fit for promotion and in light of comment/legal advice rendered in present file by the Department of Law, the DPC recommended the above two names (namely Satyadeo Mohan Ghosh and Shyam Das Singh) as fit to be granted promotion on notional basis with retrospective effect to higher rank of Executive Engineer w.e.f. 23.11.2009 and Superintending Engineer w.e.f. 3.2.2016. Thereafter under provisions of the Rule-32 (Ka) (ix) (ii) of the Rules of Executive Business of Jharkhand, the file containing said proposal and recommendations of DPC was accepted/approved with all consequential benefits by Hon'ble Chief Minister himself though in capacity of Departmental Minister on 29th July, 2021 (Page-164-167/N of file).

8. Thereafter, process for obtaining formal concurrence to the said proposal (which has earlier been accepted/approved by Hon'ble Minister-in-charge) from the Hon'ble Chief Minister through the Chief Secretary under Rule-32 (Ka) (ix) (ii) of the Rules of Executive Business of Jharkhand was initiated. 9. The undisputed facts which emerge from Resolution dated 15.9.2014, Resolution dated 29.4.2015, Order dated 30.4.2015 and Notification dated 5.5.2015 as also from Orders dated 23.4.2014 and 9.4.2015 of the Hon'ble Supreme Court passed in Civil Appeals and Contempt Petitions respectively are as follows:-

'A'. The above Ad-hoc Engineers though were initially engaged on daily wages as Junior Engineer under REO/NRFP of the Rural Development Department, Bihar but thereafter they were regularized as Junior Engineers in the Road Construction Department, Jharkhand from their respective dates of joining as daily wages Junior Engineer and their service were confirmed after one year on the post of Junior Engineer in Road Construction Department Cadre so much so that the arrears of salary i.e. difference of pay on daily wages and as regular Junior Engineer was also paid to them and placed before Hon'ble Supreme Court in 8h affidavit filed by the State before it. Thus, on regularization from dates of initial joining as Junior Engineer as well as on confirmation of service these Ad-hoc Engineers in terms of provisions under Bihar Subordinate Engineering Service Rules of 1939 became employees of Road Construction Department holding the post of Junior Engineer on substantive basis from the dates of their initial joining itself. As a government servant can hold only one post on substantive basis, therefore with these Ad-hoc Engineers holding post of Junior Engineer on substantive basis of Road Construction Department they no longer can be said to have held the post of Junior Engineer in REO/NRFP of Rural Development Department in view of the above decisions vide Resolution dated 29.4.2015 and Order dated 30.4.2015 of the Road Construction Department,

Jharkhand. As the above position that the Ad-hoc Engineers stood appointed on post of Junior Engineer in Road Construction Department was placed before the Hon'ble Supreme Court in affidavit filed on 9.2.2016 by the State and considering the same it closed the contempt proceedings by order dated 24.10.2016, it has now attained finality and now cannot be questioned on any count. **Thus, the distinction and basis of the Chief Secretary in the Noting under Reference are to the effect that no parallel claim of seniority can be drawn regarding 2 different Cadres of 2 different Departments of the Government is factually not correct.**

**'B'. Even the Chief Secretary in his Noting at paragraph-6 admits that had the appointment of Ad-hoc Engineers been made in the Road Construction Department, then the position would have been entirely different.**

'C'. Though the above Ad-hoc Engineers were earlier regularized vide Resolution dated 15.9.2014 as Assistant Engineer and thereafter were appointed by way of absorption on the post of Assistant Engineer vide Resolution dated 29.4.2015 but these, keeping in view that they had been made permanent. Junior Engineer from date of their joining in Road Construction Department vide Resolution dated 29.4.2015 and confirmed also as Junior Engineer after one year by Order dated 30.4.2015 the same was in effect a promotion from the cadre of Junior Engineer to Assistant Engineer in the Road Construction Department because (a) appointment to Bihar Engineering Service Class-II Rules, 1939 on the post of Assistant Engineers is only to be through three modes i.e. direct recruitment, transfer from other Department of permanent or temporary government servants and promotion from the feeder cadre of Junior Engineer and as these Ad- hoc Engineers had admittedly failed in examination and thus were not successful in selection process for direct recruitment to post of Assistant Engineer and as they were neither permanent nor temporary government servant in any Department under Government of Bihar/Jharkhand, including Rural Development Department, they could not have been appointed/regularized directly in Class-II service on the post of Assistant Engineer by way of the two modes of direct recruitment or by transfer and thus as per the said Rule the sole remaining mode by which they could have been appointed was the third mode of promotion i.e. promotion from the feeder cadre of Junior Engineer where they were appointed by way of regularizing their service by Resolution dated 29.4.2015 on the post of Junior Engineer and made permanent by confirming their service by Order dated 30.4.2015 and (b) accordingly in view of this position of the Rules because they were clearly assigned seniority as promotes of the year 1987 above direct recruits of 1987 (on the principle that promotes would

rank senior to direct recruits) in the Cadre of Assistant Engineer from the cadre of Junior Engineer in the amended final seniority list dated 5.5.2015 of the Road Construction Department. As the above position of these Junior Engineers having been allotted due seniority position as promotes in the cadre of Assistant Engineers vide above seniority list dated 5.5.2015 was placed before the Hon'ble Supreme Court in affidavit filed on 9.2.2016 by the State and considering the same it closed the contempt proceedings by order dated 24.10.2016 it has now attained finality and now cannot be questioned on any count.

**'D'**. Shri S.M. Ghosh and Shri S.D. Singh were appointed in the cadre of Junior Engineer of the Road Construction Department by way of direct recruitment on 9.12.1982 and their services were regularized from the said date and confirmed in that grade prior to the appointment of daily wager Junior Engineer and their regularization/confirmation in Junior Engineer under Road Construction Department Cadre. To the contrary as per the settled position, as explained above, the date of appointments and confirmation of some of the Ad-hoc Engineers as Junior Engineers in the cadre of Road Construction Department stands subsequent to the dates of appointment and confirmation of Sri S.M. Ghosh and Sri S.D. Singh. For Example is the case of Sri Rajdeo Singh who stood appointed on the post of Junior Engineer on 23.7.1985 and was confirmed as such on 23.7.1986. Therefore Sri S.M. Ghosh and Sri S.D. Singh as per dates of their initial appointment stand senior to these Ad-hoc Engineers on the basis of length of service of each of them counted from the date of entry into Government service in the cadre of Junior Engineer in Road Construction Department including that to Sri Rajdeo Singh also.

**'E'**. When claim for promotion on post of Assistant Engineer was raised by Sri S.M. Ghosh and Sri S.D. Singh on the ground that their above said Ad- hoc Engineers who were junior to them in the cadre of Junior Engineer in the Road Construction Department had been granted promotion to this post then it is the seniority of the feeder post of Junior Engineer, which is to be considered and not the seniority of the promotional post of Assistant Engineer itself.

**F.** Cumulatively on the basis of above the claim of Sri S.M. Ghosh and Sri S.D. Singh and the proposal by Road Construction Department on its basis. that they were senior to the above Ad-hoc Engineers on the post of Junior Engineer in the Road Construction Department being a fall out of the decisions of the State Government itself all taken in compliance of Orders of the Hon'ble Jharkhand High Court and Hon'ble Supreme Court of India which have attained finality.

**'G'**. In view of the aforesaid facts and circumstances as discussed and analysed above, I am of the view that the factual premise contained in the Noting of the Chief

Secretary and the recommendation made by the Chief Secretary is not based on correct appreciation of factual matrix, specially the effect of judgments dated 8.11.2011 and 23.4.2014 and Order dated 9.4.2015 of the two Hon'ble Courts and Resolution dated 29.4.2015 read with Order dated 30.4.2015 and Notification dated 5.5.2015 of Road Construction Department, Jharkhand apart from failure to notice Paragraph-13, sub-para-(Ka) and (Kha) of Resolution dated 29.4.2015 while quoting sub-para-(Ga) thereof.

'H'. All the above facts as discussed by me hereinabove be verified by the Concerned department ie. the Road Construction department.

*(i) In thus view of the matter and subject to the verification by RCD department of the facts noted hereinabove, I render my opinion as follows:- (4) Recommendations of the Departmental Promotion Committee as contained in its minutes of meeting held on 8th July, 2021 (Page-971- 968/C) duly approved with all consequential benefits by the Minister in charge on 29th July, 2021 (Page 167/ N ) should be concurred for issuing order of promotions to the recommended persons.*

*(ii) In light of my earlier opinion dated 30.9.2020 (Page-117/N) for which approval was accorded on 15.1.2021 by Hon'ble Minister in Charge of the Department (Page-127-129/N of file), after the decision is taken and notified, an appropriate affidavit containing action taken should also be filed before Hon'ble Division Bench in the matter of W.P. (S) No.-654/2018 W.P. (S) No.-2189/2018 and W.P. (S) No. with other linked cases 5726/2017 as per direction dated 4.9.2018 of the Hon'ble Court passed on LA. No.-6171/2018 filed therein so that the litigations can be given a quietus.\**

(34) विद्वान महाधिवक्ता के उपरोक्त मंतव्य / परामर्श के आधार पर विचाराधीन मामले में मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त करने हेतु मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उपस्थापित संचिका में निम्न आदेश प्राप्त हुआ :-

\* (1) विभाग गुण-दोष के आधार पर मंत्रिपरिषद् में प्रस्ताव लाने पर विचार करे।

(2) मंत्रिपरिषद् में प्रस्ताव लाने हेतु विभागीय मंत्री की सहमति व अन्य संबंधित विभाग की सहमति आवश्यक है।

(3) यदि विभाग मंत्रिपरिषद् में प्रस्ताव लाना चाहता है तो:-

(i) तत्कालीन मुख्य सचिव की टिप्पणी में उद्धरित तथ्यों को भी संलेख में उद्धरित करें तथा विभागीय सहमति असहमति कारण के साथ अंकित करें।

(ii) पृष्ठ 203 / टि० अंश 'क' के तथ्य व उसके दूरगामी परिणाम पर भी संलेख में व्याख्या करें।"

(35) उपरोक्त आलोक में पथ निर्माण विभाग द्वारा गुण-दोष के आधार पर मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव लाने पर विचार करते हुए संचिका विभागीय मंत्री के आदेशार्थ उपस्थापित की गई तथा विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त है।

(36) विभाग द्वारा प्रस्ताव से संबंधित गुण-दोष की समीक्षा पूर्व में की गई है तथा विधि विभाग का परामर्श भी संचिका में प्राप्त है कि-

"It is well settled principle that the fruits of litigation is always given to the persons who assert their right in the Court of law and not to person who merely sits on the fence and observes the litigation from outside. The person who do not approach the Court would not get benefits and therefore, in my opinion these representationist alone should be granted their seniority and promotion [reference in this regard can be made to judgment reported in 2015 (1) SCC 347]."

पुनः विधि विभाग द्वारा प्रदत्त परामर्श/मंतव्य में अंकित है कि विचाराधीन सेवानिवृत्त सेवारत अवधि में ही वरिष्ठता में कनीय पदधारकों को उच्चतर पदों पर भूतलक्षी प्रभाव से सभी अनुवर्ती लाभ के साथ प्रोन्नति प्रदान की गई है तथा विचाराधीन सहायक अभियंता (तदेन) द्वारा सेवा अवधि में कई अभ्यावेदन विभाग में एवं उच्च प्राधिकार को दिया गया था एवं सेवारत अवधि के दरम्यान इनके द्वारा अपने अधिकारों के प्रति सजग रह कर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी प्रोन्नति हेतु दायर किया गया था, इसलिए इनके प्रोन्नति संबंधी दावे को विधि सम्मत बताया गया है। इस प्रकार प्रस्ताव में Merits (गुण) ज्यादा है तथा विधि विभाग के द्वारा विभिन्न अवसरों पर प्रदत्त विधिक राय के आलोक में De-merits (अवगुण) नहीं है, क्योंकि प्रश्नगत मामला माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के खण्ड-पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 4 सितम्बर, 2018 से आच्छादित है, साथ ही विद्वान महाधिवक्ता से भी परामर्शित है। चूंकि प्रश्नगत तीनों सेवानिवृत्त सहायक अभियंता के अलावे अन्य किसी के द्वारा भी माननीय न्यायालय में Approach नहीं किया गया है, इसलिए अब नये सिरे से भविष्य में किसी भी सेवानिवृत्त अभियंता जो अपने सेवाकाल में कनीय को प्रदत्त प्रोन्नति के आधार पर देय प्रोन्नति का दावा नहीं किये हैं। के द्वारा प्रोन्नति का दावा विधि मान्य नहीं होगा।

पुनः विधि विभाग द्वारा प्रदत्त परामर्श / मंतव्य सहायक अभियंता

(37) अतः उपरोक्त आलोक में तथा माननीय न्यायालय आदेश के अनुपालन के क्रम में निम्न प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन था:-

(क) माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा डब्लू० पी० (एस) संख्या-654 / 2018 में दायर आई० ए० संख्या-6171 / 2018 (सत्यदेव मोहन घोष बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य के मामले में) दिनांक 04 सितम्बर, 2018 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में तथा विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श अनुरूप विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 08.07. 2021 की

कार्यवाही की कंडिका-9 में कृत अनुशंसा के अधीन श्री सत्यदेव मोहन घोष सहायक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त [वरीयता क्रमांक- 22 (क) / 2015] तथा श्री श्याम दास सिंह सहायक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत्त वरीयता क्रमांक 22 (ख)/2015, को उच्चत संवर्गीय पद कार्यपालक अभियंता की पंक्ति, वेतनमान पी० बी०-III (15,600-39, ग्रेड वेतन ₹0 6600/-) में दिनांक-23.11.2009 के भूतलक्षी प्रभाव से एवं अनुवर्ती उच्चतर संवर्गीय पद अधीक्षण अभियंता की पंक्ति, वेतनमान पी० बी० - IV ( 37,400- 67,000 + ग्रेड वेतन ₹0 8700/-) में दिनांक 03.02.2016 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान किया जाय एवं तदनुसार पेंशन के पुनरीक्षण इत्यादि का लाभ भी अनुमान्य किया जाय ।

(ख) इसे पूर्व उदाहरण नहीं समझा जाय।

(ग) विद्वान महाधिवक्ता के परामर्शानुसार संबंधित वाद में तत्संबंधी प्रगति प्रतिवेदन / अनुपालन प्रतिवेदन माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में शपथ पत्र के माध्यम से दायर किया जाय ।

( 38 ) प्रस्ताव एवं संलेख प्रारूप पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त हैं ।

( 39 ) प्रस्ताव एवं संलेख प्रारूप पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का परामर्श प्राप्त है ।

( 40 ) प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

( 41 ) प्रस्ताव पर विधि विभाग से विधिक राय प्राप्त है ।

( 42 ) अतः सम्यक विचारोपरांत संलग्न सूची (परिशिष्ट- क) के अनुसार उपर्युक्त कंडिका-37 में वर्णित दोनों सेवानिवृत्त सहायक अभियंताओं यथा सर्वश्री सत्यदेव मोहन घोष एवं श्यामदास सिंह को कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है। इसे पूर्वाधारण नहीं समझा जाएगा ।

( 44 ) पथ निर्माण विभागीय संलेख ज्ञापांक--4249 दिनांक 08.10.2024 के क्रम में प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक 08.10.2024 को संपन्न बैठक में मद संख्या-54 में दी गई है ।

-

आदेश -आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची / सभी विभाग / विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

**अनु०:**यथोक्त (परिशिष्ट - 'क') ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सुनील कुमार**  
सरकार के प्रधान सचिव ।

परिशिष्ट- "क"

| क्र०<br>सं० | सहायक अभियंता का नाम<br>सेवानिवृति तिथि तथा सेवानिवृति<br>के समय पदस्थापित कार्यालय का<br>नाम                                                   | संवर्ग की पंक्ति में प्रदत्त वैचारिक प्रोन्नति की<br>विवरणी                                                                             |                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                 | कार्यपालक अभियंता<br>(असैनिक)<br>सेवा वर्ग-1 वेतनमान PB<br>III<br>50 (15,600-39,100) ग्रेड<br>वेतन ₹0 6600/- में<br>वैचारिक प्रोन्नति । | अधीक्षण अभियंता<br>(असैनिक) सेवा वर्ग-1<br>वेतनमान PB IV<br>50 (37,400-67,000)<br>ग्रेड वेतन ₹0 8700/-<br>में वैचारिक प्रोन्नति । |
| (i)         | (ii)                                                                                                                                            | (iii)                                                                                                                                   | (iv)                                                                                                                              |
| 1.          | श्री सत्यदेव मोहन घोष<br>(सेवानिवृति तिथि 28.02.2018)<br>मुख्य अभियंता का कार्यालय<br>राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग,<br>प०नि०वि०,<br>झारखण्ड, राँची । | 23.11.2009                                                                                                                              | 03.02.2016                                                                                                                        |
| 2.          | श्री श्याम दास सिंह,<br>(सेवानिवृति तिथि 31.01.2019 )<br>मुख्य कार्यपालक<br>पदाधिकारी सह उप विकास<br>आयुक्त<br>का कार्यालय, जिला परिषद, राँची।  | 23.11.2009                                                                                                                              | 03.02.2016                                                                                                                        |

सरकार के प्रधान सचिव  
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची ।

-----